निर्णय बइजलास श्री के.आर. चौहान सहायक कलक्टर (S.D.O.) देवगढ

प्रकरण संख्या 44 / 2015 प्रा.पत्र निर्णय दिनांक 25.02.2019

अनवान

श्री लालसिह पिता नोलसिहजी जाति रावत आयु बालिग निवासी दराडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द .....वादी

बनाम

1–श्री विक्रमसिह पिता भोपालसिहजी जाति राजपूत आयु बालिग निवासी दराडा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द(राज.)

2–श्री दलपतसिह पिता भोपालसिहजी जाति राजपूत आयु बालिग निवासी दराडा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द(राज.)

3–श्रीमति पारस कंवर पिता भोपालसिहजी जाति राजपूत आयु बालिग निवासी दराडा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द(राज.)

4–श्रीमति चन्द्राकंवर पिता भोपालसिहजी जाति राजपूत आयु बालिग निवासी दराडा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द(राज.)

5–श्री फतेहसिह पिता रणसिहजी जाति राजपूत आयु बालिग निवासी दराडा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द(राज.)

6–श्री शैतानसिह पिता रणसिहजी जाति राजपूत आयु बालिग निवासी दराडा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द(राज.)

मेजरसिह पिता रणसिहजी जाति राजपूत आयु बालिग निवासी दराडा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द(राज.)।(मृतक) के कायम मुकाम।

7–श्रीमति प्रकाशकंवर पत्नी स्वर्गीय मेजरसिह निवासी दराडा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द(राज.)

8–कुमारी किरण कंवर पुत्री मेजरसिह आयु 19 वर्ष निवासी दराडा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द(राज.)

9–महिपालसिह पुत्र मेजरसिंह (नाबालिग) आयु 17 वर्ष निवासी दराडा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द(राज.)

10–पीपीसिंह पिता मनोहरसिहजी जाति राजपूत आयु बालिग निवासी दराडा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द(राज.)

11–सेणू कंवर पिता मनोहरसिहजी जाति राजपूत आयु बालिग निवासी दराडा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द(राज.)

12–प्रकाश कंवर पत्नी मनोहरसिहजी जाति राजपूत आयु बालिग निवासी दराडा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द(राज.)

.....प्रतिवादीगण

निरन्तर पेज.....2 पर

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

प्रार्थनापत्र अनतर्गत धारा 251 ए राजस्थान टेनेन्सी एक्ट

उपस्थित :– 1. श्री राजूसिह रावत वकील प्रार्थी
2. श्री उग्रप्रतापसिंह वकील विपक्षी

ग्राम दराडा में प्रार्थी की खातेदारी भूमि स्थित है जिसके खसरा नम्बर 174,175,176 किता 3 रकबा 9–05 है। प्रार्थी को अपने घर से भूमि पर आने–जाने का रास्ता 50 वर्षो से ज्यादा समय से एंव उससे पुर्व से जों स्थाई रास्ता है वह प्रतिवादी संख्या 1 श्रीमति मोहन कंवर बेवा रणसिह के खातेंदारी की भूमि खसरा नम्बर 141/1 रकबा 2–00 बीघा के किनारे होता हुआ प्रतिवादी संख्या 1 से 12 के खातेंदारी भूमि खसरा नम्बर 178,177 के दक्षिण दिशा एंव बिलानाम सरकारी भूमि खसरा नम्बर 213 नाला के पुर्व दिशा में होता हुआ प्रार्थी के खसरा नम्बर 174,176 व 175 में प्रवेश करता है। इसके अलावा प्रार्थी के खेत पर आने–जानें का कोई अन्य रास्ता नही है। यह रास्ता 20 फिट चौडा होकर ट्रेक्टर–ट्रोली खेत पर आती–जाती है तथा कृषि की फसल घास, अनाज,आदि ट्रेक्टर ट्रोली एंव उससे पहलें बैलगाडी से लातें रहे है। प्रार्थी का यहीं स्थाई रास्ता है। प्रार्थी के उक्त रास्ते के किनारें प्रतिवादीगण नें बन्द कराई ये है। जिससें प्रार्थी के खेतों में खेती करना बन्द हो गया है। विपक्षीगण को कहनेपर मरने–मारनें पर आमादा है। विपक्षीगण नें प्रार्थी के खेतों में आने–जानें का रास्ता बन्द कर दिया है। जिससें प्रार्थी नें रास्ता खुलवानें हेतु प्रा. पत्र पेश किया है। प्रार्थी नियमानुसार रास्ते में जानें वाली भूमि की राशि अदा करने को तैयार है। अतः प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार फरमाया जाकर रास्ता खुलवानें के आदेश प्रदान करायें जावें।

प्रार्थी का प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगणो को मय नकल प्रा. पत्र के सम्मन जारी किये गयें विपक्षीगण को जारी सम्मन बाद तामील शा. फा. किये गये। दौराने सुनवाई विपक्षी संख्या 8 श्री मेजरसिह की मृत्यु हो गई जिस पर उसके कायम मुकाम उसकें वारिसानों को बनाया गया। मृतक के वारिसान को सम्मन तामिल नही होने से सभी विपक्षीगण के सम्मन दैनिक भास्कर अखबार में छाया करवायें गयें। विपक्षीगणो की ओर सें वकिल उग्रपतापसिह एंव उम्मेद गर्ग वकिल नियुक्त हुए। प्रतिवादीगण नें जवाब पेश किया जिसमें निवेदन किया कि प्रार्थी के खेत के आराजी नम्बर 174,175,176 प्रार्थी से पुर्व उसके पिता नोलसिह के द्वारा उक्त आराजियात से जुडी हुई भूमि जिसके वर्तमान आराजी नम्बर 153,153/1 राजस्व रेकार्ड में दर्ज है जिसमें से लेकर प्रार्थी के पिता आराजी नम्बर 174,175,176 में आने जाने का रास्ता था। प्रार्थी के पिता नोलसिह की मृत्यु पश्चात् उक्त आराजी नम्बर 153,153/1 प्रार्थी के भाई वजेसिंह व प्रेमसिह एंव उनके वारिसानों के नाम दर्ज है इसी आराजी में होकर प्रार्थी अपने खेतो में आता–जाता था परन्तु प्रार्थी के अपने भाईयों के बिच आपसी मनमुटाव हो जाने क कारण प्रार्थी के भाईयो द्वारा उक्त आराजी नम्बर 153,153/1 जो कि आराजी नम्बर 174,175,176 में आने–जाने का रास्ता था

निरन्तर पेज....3 पर

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला–राजसमन्द

बन्द कर दिया है। उकत आराजियात मे आने-जाने के लियें नेशनल हाईवें नम्बर 8 ग्राम दराडा से सीधा रास्ता आराजी नम्बर 153,153/1 में जा रहा है। जो प्रार्थी के स्वंय के भाईयों का है एंव पुर्व में भी प्रार्थी इसी रास्ते से उसकी भूमि में आता-जाता रहा है। प्रार्थी ने जबरन नाजायज तरिके से परेशान करने के लियें लम्बा रास्ता लेने की नियत सें प्रतिवादीगण की उक्त आराजियात एंव खातेंदारी भूमि हडपने की नियत सें यह प्रा. पत्र पेश किया है। प्रतिवादीगण के खेतो के बीच एक नाला भी है जिसमें से किसी भी प्रकार का कोई रास्ता नही निकाला जा सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वकील प्रार्थी ने शहादत में स्वाम प्रार्थी एंव श्रीमति गीता कंवर श्री मोहनसिह, रतनसिह के शपथपत्र पेश किये जिनको वकील विपक्षी ने क्रोश करवायें। प्रक्ररण में भू.अ. निरीक्षक कुंआथल को मौका कमिशनर नियुक्त किया भू.अ. निरीक्षक ने कमिशनरी रिपोर्ट तैयार पेश की जो पत्रावली में संलग्न की गई।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी। विद्वान वकील प्रार्थी ने बहस में तर्क दिया कि प्रार्थी की खातेंदारी भूमि आराजी नम्बर 174,175,176 में पिछलें 50 वर्षो सें आबादी भूमि स्थित उसके आवासीय मकान से आराजी नम्बर 132 बिलानाम रास्ते से होकर विपक्षी मोहर कंवर वगैरह एंव इनके वारिसान के खातेदारी खसरा नम्बर 141/1 मे से होंकर आराजी नम्बर 213 बिलानाम नालें पर बने सरकारी पुलिया से जो आगे के काश्तकारों के जाने के लियें बनाया गया है उसी सरकारी पुलियें सें विपक्षी मोहर कंवर वगैरह व इनके वारिसान भी अपनी खातेंदारी आराजी नम्बर 178 एंव 177 में जातें है। इसी आराजी नम्बर 178 व 177 मे से होकर प्रार्थी भी अपनी खातेंदारी आराजी नम्बर 174,175,176 में पिढीयों सें आते-जाते रहें है मौके पर आने जाने का रास्ता बना हुआ है। इसी रास्ते को चौडा करने हेतु व नक्शें में कायम करने हेतु प्रार्थी ने प्रा. पत्र धारा 251 क पेश किया है। प्रार्थी रास्ते मे जानें वाली भूमि की नियमानुसार किमत अदा करने को तैयार है। अतः प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार फरमाया जाकर रासता खुलवाया जाकर राजस्व रेकार्ड में अंकन कराने के आदेश प्रदान करावें। विद्वान वकील विपक्षी ने बहस में तर्क किया कि जिस जगह पर प्रार्थी 50 वर्ष पुराना रास्ता बता रहा है वहां पर कभी रास्ता नही रहा न ही वर्तमान में मौके पर कोई रास्ता नही है। प्रार्थी विपक्षीगण को परेशान करने की नियत सें कार्यवाही की जा रही है जो गलत है। अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रा.पत्र अस्वीकार किया जाकर निरस्त कराया जावें।

हमनें प्रार्थी के प्रा.पत्र जवाब विपक्षी, साक्ष्य एंव पत्रावली में सलंग्न अन्य दस्तावेजों का अवलोकल किया तथा विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया प्रार्थी पुर्व में भी आराजी नम्बर 139/1, 133 एंव 140 से 141/1 , 178, 177 में आता जाता था।

निरन्तर पेज.......4 पर

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

आराजी नम्बर 139/1 133,140 में प्रार्थी की पेतृक भूमि मे से विपक्षीगण भी आने–जाने की प्रार्थी द्वारा रजामन्दी होने से राजस्व ग्राम दराडा की आराजी नम्बर 141/1 178,177 मे से आने–जाने के लियें कुल लम्बाई 600 फिट एंव चौडाई 20 फिट जों कुल क्षैत्रफल 0–11 विस्वा बनता है अर्थात् 12000 वर्गफिट उसकी सरकारी(DLC) रेट 39555/– प्रति बीघा के हिसाब सें 0–11 विस्वा भूमि रकम 21753 /– रूपयें की दौगुना राशि 43510/– रूपयें बनती है वह प्रार्थी तहसीलदार देवगढ को भुगतान होने पर रास्ते का राजस्व रेकॉर्ड में नियमानुसार अंकन किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावें। पत्रावली फेसलशुमार हो नम्बर से कम की जावें।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द
देवगढ